अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या – 404 /2013–14

नसीमा खातुन बनाम मो० शौकत वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा कागजातों का अवलोकन किया। वादनी द्वारा यह वाद मौजा– राघोपुर ग्राम– नजरा महमदा टोला खाता नं0– 405 पूराना खेसरा नं0– 1607 पूराना नया खाता नं0– 3642 खेसरा नं0– 2641, 2642, 2644, 2645, 2646, रकवा– 19 डी0 परा मो0 शौकत पे0– स्व0 नीवजान ग्राम– नजरा महमदा टोले विशनपुर के विरूद्ध दायर किया है कि प्रश्नगत भूमि C.S. खतियान के अनुसार गैरमजरूआ आम है जिसपर विपक्षी लोग घर बना लिये हैं। विपक्षी का अपने लिखित ब्यान में कहना है कि वास्तव में यह भूमि गैर मजरूआ बांध है तथा इस भूमि की रसीदी बन्दोवस्ती मालिक द्वारा इनके पूर्वज को मिला था परन्तु वर्ष 1987 के बाढ़ में ये सभी कागजात बह गया। वर्त्तमान में इस भू–खण्ड पर इनलोगों का घर है तथा इसके अलावा और कोई वास योग्य इनके पास जमीन नहीं है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में हाल सर्वे खतियान की कम्प्युटर प्रति संलग्न किया है। तथा हाल सर्वे एवं पूराना सर्वे का नक्शा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है। विपक्षी द्वारा अपने दावा के समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। सरकार के तरफ से सरकारी सहायक अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा है। उपरोक्त सभी तथ्यों के अवलोकन तथा प्रस्तुत कागजातों एंव सरकारी अधिवक्ता को सुनने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि सरकारी है परन्तु वादनी द्वारा इस भूमि का पुराना खतियान प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके की वास्तव में यह भूमि गैरमजरूआ आम रहा है और आज भी है। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि का C.S. खतियान एवं R.S. खतियान का अवलोकन कर लें। अवलोकनोपरान्त अंचल अधिकारी अगर यह पाते है कि वास्तव में	

30/06/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम है तो सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। उपरोक्त मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, मनीगाछी को जाँचोपरान्त नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजें। **लेखापित एव शुद्धित** 30/06/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 30/06/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	